न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 34 / 2016(जी.सी.एम.एस. 2016 / 00257)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सरवण सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद चक मोकमवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।		1. गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जरिए शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा श्रीकरणपुर। 4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर। 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955, 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थितः1.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता वादी — तारीख रजूः– 04.05.2016

2.श्री योगेश कुमार बंसल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

3.श्री रमेश चन्द गुप्ता अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3

4.श्री संजय कुमार गुप्ता अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4

––निर्णय––

दिनांकः 14.10.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 2 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2035 के खाता संख्या 16/60 के मुरब्बा नम्बर 45, 47, 48, 74/20 की कुल 16 बीघा 15 बिस्वा नहरी मय गैरमुमकिन खाल भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। वादी के द्वारा उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 19 की 5 बिस्वा, किला नम्बर 20 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 04.05.1981 प्रतिवादी संख्या 1 गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह को व मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 11, 12 प्रत्येक सालम-सालम, किला नमबर 13 की 10 बिस्वा, किला नम्बर 16, 17, 18 प्रत्येक सालम-सालम एंव किला नम्बर 19 की 15 बिस्वा कुल 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 22.04.1981 से प्रतिवादी संख्या 2 जलन्धर सिंह को बेचान कर दी गई। मुरब्बा नम्बर 48 की भूमि बेचान कर देने के पश्चात वादी के पास मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 की 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 23, 24 सालम-सालम, किला नम्बर 22 की 5 बिस्वा, किला नम्बर 25 की 18 बिस्वा कुल 4 बीघा 3 बिस्वा नहरी, एंव मुरब्बा नम्बर 74/20 की 2 बिस्वा कुल 4 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि शेष रही। उक्त बेचान के नामान्तरण के उपरान्त चक 2 ओ की बनने वाली जमाबन्दियों में प्रतिवादी संख्या 1 गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह के नाम 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 जलन्धर सिंह के नाम 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि व वादी के नाम 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि बतौर खातेदार दर्ज होती रही। जमाबन्दी सम्वत 2056 के पश्चात चक 2 ओ की उक्त रकबा के बाबत बनने वाली जमाबन्दी खाता संख्या 16/18 सम्वत 2060 को बनाते समय तत्कालीन पटवारी ने रकबा को हिस्सा से हैक्टेयर में परिवर्तित करते समय समस्त रकबा गलत दर्ज कर दिया। इसमें वादी का हिस्सा 1.075 हैक्टेयर के स्थान पर 1.139 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 1, 2 की 1.581- 1.581 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 1.644-1.645 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर दिया गया। कुल 15 बिस्वा रकबा अधिक दर्ज कर दिया। जिसके कराण खाता का कुल योग से मिलान नहीं होता। खाता का योग 16 बीघा 15 बिस्वा (4.238 हैक्टेयर) है, जबकि पटवारी द्वारा इस जमाबन्दी में दर्ज रकबा का योग 4.428 हैक्टेयर(0.190 हैक्टेयर अधिक) है। इस प्रकार रकबा के बाबत निर्मित जमाबन्दी खाता संख्या 16/18 सम्वत 2060 त्रुटिपूर्ण है। जिसे दुरूस्त किया जाना है। वादी के द्वारा उक्त 1.075 हैक्टेयर भूमि में से

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 24 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.143 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 74/20 की 0.012 हैक्टेयर भूमि जीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह को एंव मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 22 की 0.063 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.085 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 74/20 की 0.013 हैक्टेयर भूमि मुखत्यार सिंह पुत्र रतन सिंह को बेचान कर दिया गया। इस विक्रय के उपरान्त वादी के नाम इस रकबा में से केवल मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 की 0.253 हैक्टेयर भूमि शेष रह गई। जीत सिंह व मुखत्यार सिंह द्वारा खाता विभाजन करवा कर मुरब्बा नम्बर 47 का 0.822 हैक्टेयर के बाबत अलग खाता कायम करवा लिया तथा यह रकबा खाता संख्या 16/18 सम्वत 2060 के कुल योग 4.238 हैक्टेयर में से कम होकर इस खाता में केवल 3.416 हैक्टेयर रकबा शेष रहा। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1, 2 प्रत्येक का 1.581 हैक्टेयर तथा वादी का 0. 253 हैक्टेयर रकबा शेष दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन एक बार फिर राजस्व पटवारी द्वारा त्रुटिपूर्ण जमाबन्दी संख्या 16/16 सम्वत 2064 ता 2067 तैयार करते हुए वादी का नाम व उसका हिस्सा पूरी तरह हटा दिया गया। तथा पूर्व में जमाबन्दी संख्या 16/18 सम्वत 2060 का त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादी संख्या 1, 2 के 5-5 बिस्वा बढे हुए हिस्से दर्ज किए गए और पटवारी द्वारा जमाबन्दी संख्या 16/16 सम्वत 2064 ता 2067 में गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.581 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 1.581 हैक्टेयर व सरवण सिंह पुत्र करनैल सिंह 0.253 हैक्टेयर दर्ज करने के स्थान पर त्रुटिपूर्ण रूप से गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.644 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 1.645 हैक्टेयर दर्ज किया गया। जिसे पुनः दुरूस्त कर वादी के नाम 0.253 हैक्टेयर, गुरदेव सिंह 1.581 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह 1. 582 हैक्टेयर, कुल 3.416 हैक्टेयर संशोधित किए जाने योग्य है। आज से 10 रोज पूर्व पटवारी हल्का को उक्त दुरूस्ती करने के लिए कहा तो पटवारी हल्का द्वारा साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे :- कि चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 18/16 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 11, 12 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 13/1 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम, कुल 3.163 हैक्टेयर रकबा में गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.644 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.645 हैक्टेयर को दुरूस्त कर गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.581 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.582 हैक्टेयर व सरवण सिंह पुत्र करनैल सिंह 0.253 हैक्टेयर दर्ज किया जावे और आगामी जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 18/16 में भी दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश कुमार बंसल, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार गुप्ता उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार वादी सरवन सिंह ने पूर्व में भी धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 88 आरटीए का अनवानी सरवन सिंह बनाम सरकार प्रकरण संख्या 56/2015 पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2016 को खारिज किया गया था। वादी द्वारा उक्त दावा दुबारा पेश किया गया है जो दुबारा पेश नहीं किया जा सकता था। इसलिए वाद वादी खारिज किए जाने योग्य है। उक्त दावा वादी द्वारा दिनांक 04. 05.2016 को पेश किया गया है। वादी द्वारा अपने दावा में दिनांक 15.02.2016 से दिनांक 04.05.2016 तक दावा पेश करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। इसलिए उक्त दावा चलने योग्य नहीं है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। पैरोकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3724 दिनांक 10.12.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। सामिल मिसल की गई।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादी चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 18/16 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 11, 12 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 13/1 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम, कुल 3.163 हैक्टेयर रकबा में गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.644 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.645 हैक्टेयर को संशोधित करवाकर गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.581 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.582 हैक्टेयर व सरवण सिंह पुत्र करनैल सिंह 0.253 हैक्टेयर भूमि दर्ज करवाने व आगामी जमाबन्दियों में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है?

-जिम्मे वादी-

(ii)आया कि वादी का वादपत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1, 2-

(iii)अनुतोष।

4. वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2035 के खाता संख्या 16/60 की प्रति, प्रदर्श-2 नामान्तरण की प्रतिलिपि चक 2 ओ खाता संख्या 114/60 की प्रति, प्रदर्श-3 चक 2 ओ के खाता संख्या 16/60 की प्रति, प्रदर्श-4 चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2056 के खाता संख्या 18/60 की प्रति, प्रदर्श-5 चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2060 के खाता संख्या 16/18 की प्रति, प्रदर्श-6 नामान्तरण संख्या 373/16 की प्रति, प्रदर्श-7 चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 16/16 की प्रति, प्रदर्श-8 चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 18/16 की प्रति, प्रदर्श-9 नकल जमाबन्दी की प्रति, प्रदर्श-10 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के आदेश दिनांक 15.02.2016 अनवानी सरवण सिंह बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 56/2015 की प्रति, डिक्री दिनांक 15.02.2016 की प्रति, प्रदर्शित करवाए तथा स्वंय वादी सरवण सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादी के द्वारा जिरह की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। वकील प्रतिवादी के द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में प्रदर्श-डी1 पटवारी हल्का 10 ओ रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 की प्रति प्रदर्शित करवाए तथा स्वंय प्रतिवादी जलन्धर सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। जिरह वकील वादी द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

5. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) आया कि क्या वादी चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 18/16 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 11, 12 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 13/1 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम, कुल 3.163 हैक्टेयर रकबा में गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.644 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.645 हैक्टेयर को संशोधित करवाकर गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.581 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.582 हैक्टेयर व सरवण सिंह पुत्र करनैल सिंह 0.253 हैक्टेयर भूमि दर्ज करवाने व आगामी जमाबन्दियों में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी के द्वारा चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 18/16 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 11, 12 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 13/1 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम, कुल 3.163 हैक्टेयर रकबा में गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.644 हैक्टेयर,

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.645 हैक्टेयर के स्थान पर गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.581 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.582 हैक्टेयर व सरवण सिंह पुत्र करनैल सिंह 0.253 हैक्टेयर दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 18 के मुरब्बा नम्बर 45, 48 की कुल 3.416 हैक्टेयर नहरी भूमि गुरदेव सिंह पुत्र कृपाल सिंह व जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के नाम ब.हि.ब. दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2035 ता 2038 में गुरदेव सिंह का हिस्सा 125 हिस्सा, जलन्धर सिंह का 125 हिस्सा, व सरवन सिंह का 85 हिस्सा दर्ज है। उक्तानुसार ही सम्वत 2056 ता 2059 तक चल रहा है। जमाबन्दी सम्वत 2060 ता 2063 की जमाबन्दी में रिकॉर्ड हिस्सो से हैक्टेयर में बदला गया, उस वक्त गुरदेव सिंह का हिस्सा 1.581 हैक्टेयर की बजाय 1.644 हैक्टेयर लिखा गया। इसी प्रकार जलन्धर सिंह का हिस्सा 1.581 हैक्टेयर की बजाय 1.645 हैक्टेयर लिखा गया एंव वादी सरवन सिंह का हिस्सा 1.075 हैक्टेयर की बजाय 1.139 हैक्टेयर लिखा गया जो सहवन से लिखा गया है एंव काबिल दुरूस्ती के है। जमाबन्दी सम्वत 2060 ता 2063 के खाता संख्या 16 के समस्त खातेदारो के कुल हिस्सा 4.428 हैक्टेयर लिखा है। जबकि खाते का योग 4.238 हैक्टेयर ही है। अतः उक्त इन्द्राज लिपिकीय भूलवंश हुआ है। तत्पश्चात डिक्री नामान्तरण संख्या 373 से सरवन सिंह के हिस्से 10.75 हैक्टेयर में से 0.822 हैक्टेयर रकबा अन्य पक्षकार के पास चला गया व इसका खाता अलग बन गया। डिक्री होने के बाद शेष बचे उक्त खाता संख्या 16 की जमाबन्दी सम्वत 2060 ता 2063 में वादी सरवन सिंह का हिस्सा 0.253 हैक्टेयर शेष रहा गया। इस प्रकार समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि चक 2 ओ की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 27 में गुरदेव सिंह पुत्र कृपाल सिंह का हिस्सा 1.581 हैक्टेयर तथा जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह का हिस्सा 1.582 हैक्टेयर व सरवन सिंह पुत्र करनैल सिंह का हिस्सा 0.253 हैक्टेयर जाति जटसिख साकिन 1 ओ दर्ज कर शेष इन्द्राज रहन आदि बदस्तूर रखते हुए रिकॉर्ड की दुरूस्ती की जानी उचित है। प्रतिवादी संख्या 2 जलन्धर सिंह के द्वारा बयान में स्वीकार किया है कि मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 का कोई दानपत्र या पंजीकृत बैयनामा या विक्रय पत्र हमारे पास नहीं है और न ही पत्रावली पर मौजूद है। लिहाजा उक्त त्रुटि सहवन से हुई एक लिपिकीय त्रुटि जिसे संशोधित किया जाना उचित है। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि वादी का वादपत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1, 2 की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा में कथन किया है कि सरवन सिंह ने पूर्व में भी धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 88 आरटीए का अनवानी सरवन सिंह बनाम सरकार प्रकरण संख्या 56/2015 पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2016 को खारिज कर दिया गया। वादी द्वारा उक्त दावा दुबारा पेश किया गया है जो दुबारा पेश नहीं किया जा सकता था। उक्त दावा वादी द्वारा दिनांक 04.05.2016 को पेश किया गया है। वादी द्वारा अपने दावा में दिनांक 15.02.2016 से दिनांक 04.05.2016 तक दावा पेश करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। इसलिए उक्त दावा मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य नहीं है। प्रदर्श-डी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर में प्रकरण संख्या 56/2015, अनवान सरवण सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट के निर्णय दिनांक 15.02.2016 अनुसार "**वादी के द्वारा चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 18 में संशोधन हेतु वादपत्र पेश किया है। जबकि खाता संख्या 18 के खातेदारों गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह पुत्र कृपाल सिंह, जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला श्रीकरणपुर को वादपत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं है।**" लिहाजा प्रदर्श-10 से स्पष्ट है कि पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 56/2015 खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण खारिज किया गया है। हस्तगत प्रकरण दिनांक 04.05.2016 को खाता संख्या 18 के समस्त

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

खातेदारों को बतौर प्रतिवादीगण संयोजित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। जिसे मियाद बाहर नहीं कहा जा सकता है। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी निर्णीत की जाती है।

(iii) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 बहक वादी व तनकी संख्या 2 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1, 2 निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 18/16 में गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह वल्द कृपाल सिंह 1.644 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह वल्द गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.645 हैक्टेयर के स्थान पर गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह वल्द कृपाल सिंह 1.581 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह वल्द गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.582 हैक्टेयर व सरवण सिंह पुत्र करनैल सिंह 0.253 हैक्टेयर जातियान जटसिख निवासीगण 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। प्रकरण संख्या 21/2016, अनवान सरवण सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि, अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अस्थायी व्यादेश दिनांक 04.01.2021 भी निरस्त किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सरवण सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **34/2016**
निर्णय दिनांक :- 14.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री योगेश कुमार बंसल, श्री रमेश चन्द गुप्ता, श्री संजय कुमार गुप्ता होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 18/16 में गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह वल्द कृपाल सिंह 1.644 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह वल्द गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.645 हैक्टेयर के स्थान पर गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह वल्द कृपाल सिंह 1.581 हैक्टेयर, जलन्धर सिंह वल्द गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह 1.582 हैक्टेयर व सरवण सिंह पुत्र करनैल सिंह 0.253 हैक्टेयर जातियान जटसिख निवासीगण 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। प्रकरण संख्या 21/2016, अनवान सरवण सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि, अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अस्थायी व्यादेश दिनांक 04.01.2021 भी निरस्त किया जाता है। आज दिनांक 14.10.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
म्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	06	00
म्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
म्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
	04	**00**	**योग**	**08**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/773 दिनांकः 14.10.2025

तिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, लना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर